राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(3)वित्त/कर/2025 जयपुर, दिनांक 01.06.2026

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के नियम 24 के अधीन सहायक आयुक्त के पद की वर्ष 2025–26 हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आस्थगित प्रकरणों (DEFERRED CASES) की बैठक दिनांक 08.05.2026 में की गई अभिशंषा पर निम्नांकित वाणिज्यिक कर अधिकारी को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर, सहायक आयुक्त के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :–

क.सं	नाम	वर्ग	विशेष विवरण
1	श्री संजय विश्नोई	–	इनकी पदोन्नति पर रिक्ति दिनांक 01.07.2025 होगी तथा वरीयता क्रम में इनका नाम श्री प्रभुदयाल शर्मा के नीचे व श्री अनिल कुमार आमेटा के ऊपर रहेगा।

उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेगें, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदो के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेगें।

यह पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी.रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd-

(नथमल डिडेल)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (कर)